


॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक-.....

श्री सुनील कुमार-II, सब-जज, कैमूर, भभुआ एवं श्री नीरज किशोर, सब जज, समस्तीपुर, जिनकी सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7/डी0-01-403/96 सा0प्र0-17525, दिनांक-18.12.2015 के द्वारा राज्य सरकार को योगदान की तिथि से विधि विभाग, बिहार, पटना को सेवा सौंपे जाने के फलस्वरूप विधि विभाग, बिहार, पटना में अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए पदस्थापित की गयी है, को उक्त पदों पर उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(संचिका सं0-बी0/मु0स्था0-01-04/2007/...../जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(संजय कुमार) 18.12.15

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-बी0/मु0स्था0-01-04/2007/...../जे0 पटना, दिनांक...18-12-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर, भभुआ/समस्तीपुर/श्री सुनील कुमार-II, सब-जज, कैमूर, भभुआ/ श्री नीरज किशोर, सब-जज, समस्तीपुर तथा आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर, भभुआ एवं समस्तीपुर से अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी को विधि विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने हेतु तुरन्त विरमित करने की कृपा करें।

  
(संजय कुमार) 18.12.15

सरकार के सचिव, बिहार  
19/12/15